उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 08/2022–23

सुरेश मंडल.....अपीलकर्त्ता

बनाम

चुड़का मरांडी.....उत्तरकारी।

आदेश

28.10.2022

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–455/2006–07 में पारित आदेश दिनांक–11.09.2021 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा झांझर अंचल रामगढ़ एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम प्रधान सिंकू सोरेन थे। अंतिम प्रधान सिंकू सोरेन को पी0डी0 वाद सं0–89/1975–76 में आदेश दिनांक–01.11.1982 द्वारा प्रधान पद से बरखास्त किया जा चुका है। मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु वसोनी मुर्मू, जोहान सोरेन, चुण्डा सोरेन सुरेश कुमार मंडल वो चुड़का मरांडी द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक वासोनी मुर्मू द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है। चूँकि मौजा के पूर्व प्रधान को बरखास्त किया जा चुका है, फलस्वरूप प्रधान नियुक्ति की कार्रवाई संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची के आधार पर दिनांक–11.09.2021 को मतदान कराया गया, सूची के अनुसार वर्तमान रैयतों की संख्या 18 है, जिसमें जमाबंदी रैयतों की समर्पित सूची 18 में से उपस्थित 15 रैयतों के द्वारा विपक्षी चुड़का मरांडी के पक्ष में

मतदान किया गया एवं उन्हें मौजा का प्रधान पद नियुक्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है।

1. विपक्षी मौजा का स्थाई निवासी नहीं है। उनका स्थाई निवास स्थान मौजा करमडीह, ग्राम पंचायत लखनपुर अंचल–रामगढ़ है।

2. अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा स्थानीय जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट नहीं है कि विपक्षी जमाबंदी रैयत के पोती का पुत्र है।

3. जमाबंदी रैयत माथुर सोरेन के पुत्री और पोती की शादी घर जमाई में होने के संबंध में प्रतिवेदन उल्लेख नहीं है।

4. विपक्षी न तो मौजा का जमाबंदी रैयत है और न तो मौजा का निवासी है। वह बाहरी रैयत है, जो प्रधान पद के लिए योग्य नहीं है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित रिवीजन आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

1. विपक्षी के उम्मीदवारी पर मौजा के किसी जमाबंदी रैयतों को आपत्ति नहीं है। वह मौजा के जमाबंदी नं0–17 के जमाबंदी रैयत माथुर सोरेन के पोती के पुत्र है। गैंजर सर्वे के जमाबंदी रैयत माथुर सोरेन के पेाती मनकी सोरेन एवं चुरू सोरेन (विपक्षी की माता) का नाम वर्त्तमान सर्वे में दर्ज है, जिसका वर्त्तमान जमाबंदी नं0–45 है।

2. विपक्षी का निवासी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं बैंक खाता मौजा झाझर अंचल–रामगढ़ जिला–दुमका के निवासी के आधार पर निर्गत है।

3. विपक्षी को मौजा के 18 जमाबंदी रैयतों मे से 15 जमाबंदी रैयतों का मतदान (समर्थन) प्राप्त है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। इसे बरकरार रखते हुए आवेदन को निरस्त किया जाय।

अंचल रामगढ़ द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :– अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा मौजा के कुल 18 जमाबंदी रैयतों की सूची समर्पित किया गया, जो पत्रांक–684 / रा0 दिनांक–03.09.2021 द्वारा प्राप्त है। इसके साथ मौजा के रैयतों का आमसभा में पारित प्रस्ताव भी प्राप्त है जिसमें 41 रैयतों की उपस्थिति थी, में उल्लेख है कि विपक्षी चुड़का मरांडी पिता स्व0 मंगल मरांडी मौजा झाझर के जमाबंदी नं0–17 के रैयत माथुर सोरेन के पोती के पुत्र है। तथा प्रधान हेतु योग्य है।

मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची के आधार पर निम्न न्यायालय के न्यायालय में दिनांक–11.09.2021 को प्रधान नियुक्ति हेतु मतदान कराया गया, जिसमें विपक्षी के पक्ष में 18 में से 15 रैयतों द्वारा हाथ उठाकर मतदान देकर समर्थन किया गया है ,जो दो तिहाई से अधिक है। इस आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

प्रावधान

Sec-5 Appointment of village headman of a khas village.- On the application of a raiyat or of landlord of any khas village and with the consent of at least two-thirds of the jamabandi raiyats of the village ascertained in the manner prescribed, the Deputy Commissioner may declare that a headman shall be appointed for the village and shall then proceed to make the appointment in the prescribed manner.

Santhal Parganas Tenancy (Supplementary) Rules, 1950-Rule-3- on receipt of an application from a *raiyat* or a landlord under section 5, the Deputy Commissioner shall issue notice to the *jamabandi raiyats* of the village and to the landlord in Form A.

2. The consent of at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* of the village fail to be present the Deputy Commissioner shall fix another date and issue fresh notices in the manner prescribed in sub-rule 3 (1), if on the date so fixed, at least two-thirds of the persons recorded as *jamabandi raiyats* again fail to be present the Deputy Commissioner shall summarily reject the application made under section 5.

3. The decision of the Deputy Commissioner as to whether a person is entitled to vote or not shall be final.
4. If at least two-third of the persons recorded as *jamabandi raiyats* give their consent for appointment of headman for

the village, the Deputy Commissioner shall at once invite nomination for the appointment of headman and proceed to make the appointment.

SATAL PARGANAS TENANCY (SUPPLEMENTARY) RULES, 1950, SCHEDULE-V के Dismissal of Headman :-

"The heir of headman dismissed for misconduct shall have no claim to the office."

गोविन्द पंजियारा बनाम झारखण्ड राज्य 2013 [2] JCR 101 (Jhr) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि :-

A Headman who has been dismissed, his decendants cannot incur any disqualification except the disqualification of claiming Headmanship on hereditary right-Words "the heir of Headman dismissed for misconduct shall have no right to claim to office"

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के अंतिम प्रधान को प्रधानी पद से बरखास्त किया गया है। अंतिम प्रधान के बरखास्त के कारण मौजा के प्रधान पद संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त की गई। अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा 18 जमाबंदी रैयतों की सूची समर्पित किया गया है, जिसमें दो तिहाई से अधिक 15 जमाबंदी रैयतों द्वारा विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु समर्थन किया गया। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत मौजा झाझर का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित आदेश तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही मानते हुए रिवीजन आवेदन का अस्वीकृत किया जाता है।

2338 -2/12/22

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.16 15:29:02 +05:30
Location: 169.254.227.244

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।